न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5/19	10.07.2025	17.12.2025

बउनवान

01. हरि राम पुत्र रामप्रताप, जाति जोगी, निवासी ग्राम धवाला तहसील अलवर जिला अलवर राज०
02. छोटेलाल पुत्र रामप्रताप, जाति जोगी, निवासी ग्राम धवाला तहसील अलवर जिला अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व विरासत इन्तकाल संख्या 325 दिनांक–22.01.2007 ग्राम पंचायत खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व तहत अदालत ग्राम पंचायत खारेडा निर्णय दिनांक 22.01.2007 नामान्तकरण संख्या 325 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट की माता का सही व वास्तविक नाम शान्ति देवी के स्थान पर टुण्डा दर्ज व स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 08.07.2025 को हुई। इंतकालाधीन आराजी अपीलांट हरिराम, छोटेलाल पुत्रान रामप्रताप जाति जोगी निवासी ग्राम धवाला तहसील अलवर की खातेदारी आराजी थी। अपीलांट के समस्त दस्तावेजो, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इत्यादि दस्तावेजो में अपीलांट की माता का नाम शान्ति देवी दर्ज है। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत खारेडा आज्ञा दिनांक–22/01/2007 बाबत् इंतकाल संख्या 325 को निरस्त कर विरासत का इंतकाल अपीलांट की माता का गलत नाम टुण्डा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम शान्ति देवी संसोधित किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि टुण्डा पुत्र सरवण तथा शान्ति देवी पुत्री सरवण जाति जोगी हाल निवासी ग्राम धवाला जिला अलवर की रहने वाली है। उक्त महिला को गांव एवं ससुराल मे अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जबकि दोनों नाम एक ही महिला के है।

पत्रावली में तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1312 दिनांक–12.11.2025 में अवगत कराया है कि अपीलांट की माता टुण्डा का नाम उनके पिता सरवण पुत्र केशानाथ जोगी की मृत्योपरान्त विरासत का नामान्तकरण संख्या–325 ग्राम भण्डोडी के द्वारा दर्ज होकर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत पश्चात राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित/दर्ज हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम में किसी प्रकार की कोई गलती/अशुद्धि नहीं पाये जाने के कारण संदर्भित प्रकरण राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती का नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विवादित इंतकाल संख्या 325 दिनांक–22.01.2007 का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा तहत ग्राम पंचायत खारेडा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–22.01.2007 इंतकाल संख्या–325 में अपीलांट का नाम गलत दर्ज होना अंकित किया है। तहत अदालत को आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के वारिसान के नाम की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने वारिसान के नामो की विस्तृत जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया अपीलांट की हद तक अपास्त योग्य है।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित आलोच्य आदेश दिनांक–22.01.2007 इंतकाल संख्या–325, ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)